Phone: 07564-234729
Email: fmti-mp@nic.in

Fax: 07564-234743
Web site: http://fmttibudni.gov.in

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान
CENTRAL FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, CO-OPERATION AND FARMERS WELFARE)
ट्रैक्टर नगर, बुदनी (म0प्र0) 466–445
TRACTOR NAGAR, P.O., BUDNI (M.P.) 466 – 445
(An ISO 9001: 2015 Certified Institute)

फा. सं.: DIR/PA/1-2/2017

दिनांक 16.04.2020

परिपत्र

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) व उससे जनित बीमारी के संक्रमण के संदर्भ में गृह मंत्रालय,भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020– DM–I(A)] दिनांक 24.03.2020 के माध्यम से जारी दिशा–निदेशो के अनुपालन में समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 25.03.2020 के द्वारा आगामी आदेश तक संस्थान आंशिक रूप से बन्द रखने के आदेश जारी किये गए थे।

अब पुनः गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40–3/2020– DM–I(A)], दिनांक 15.04.2020 के निदेशानुसार संस्थान के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 20.04.2020 से संस्थान की गतिविधियां समान्य रूप से प्रारम्भ की जाती है अतः सभी अधिकारी/कर्मचारी संस्थान में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। जो स्टाफ संस्थान से बाहर भोपाल, होशंगाबाद इत्यादि रह रहे हैं, वे इस आपात स्थिति में कॉलोनी में क्वाटर ले सकते हैं अथवा छात्रावास में निवास कर सकते हैं। समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को संस्थान के परिसर में ही अनिवार्य रूप से रहना है। सभी अनुभाग अधिकारी अपने अधीनस्थ स्टाफ को आवश्यकतानुसार अदला–बदली करते हुए काम पर बुलाएं । जो अधिकारी/कर्मचारी दूसरे जिलों से आकर संस्थान की कॉलोनी/छात्रावास में रहते हैं, तो उन्हें अपने–अपने जिला अस्पताल या बुदनी स्वास्थय केन्द्र से स्वास्थय प्रमाणपत्र लाना आवश्यक है। कार्य स्थल पर सामाजिक दूरी बनाये रखें एवं चेहरे पर मास्क अनिवार्य रूप से प्रयोग करें तथा कार्य स्थल में थूकना एवं धूम्रपान करना वर्जित एवं दंडनीय है।

यह आदेश सक्षम अधिकारी से अनुमोदित है।

अरूण कुमार शर्मा
सहायक निदेशक (रा.भा.)/कार्यालयाध्यक्ष
कृते निदेशक

वितरण :–

1. सभी अनुभाग अधिकारी :– कृपया वे अपने अधीनस्थ स्टाफ को उपरोक्तानुसार कार्य पर बुलाऐ।
2. सभी सूचना पट्ट ।

प्रतिलिपि

निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ ।

कृते निदेशक